E-mail :- cg1.library.jkk@rajasthan.gov.in

महानिदेशक / Director General
जवाहर कला केन्द्र / Jawahar Kala Kendra
जयपुर / Jaipur

JKK
Jawahar Kala Kendra, Jaipur

JKK GSTIN : 08AAAJJ0462D1ZM

हस्तशिल्प प्रदर्शनी हेतु दक्षिण परिसर के लिए आवेदन–पत्र
Application for Reservation of Venue for Programms

1. नाम संस्था / आवेदक
Name of Applicant/Organisation :

2. पता / Address :

3. जी0एस0टी0 / यू0आई0एन0
GSTIN/UIN (If Applicable) : मोबाईल नं. / Mobile No. :

4. ई–मेल / E-Mail :

5. आवेदक की श्रेणी
Category : ☐ व्यक्तिगत Individual ☐ अकादमिक Academic ☐ सरकारी Government ☐ व्यावसायिक Commercial ☐ गैर व्यावसायिक Non-Commercial ☐ स्वयं सेवी संस्थान Non Government Organisation ☐ अन्य Others

6. संस्था रजिस्टर्ड है अथवा नहीं
Society Registered/Not Registered : ☐ नहीं / No ☐ हाँ / Yes ☐ यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें If Yes, Submit Certificates

7. आरक्षण हेतु चाहा गया स्थान
Desired Venue for Reservation : ☐ दक्षिणी परिसर South Extension

8. आरक्षण तिथि
Reservation Date : से From तक To

9. कार्यक्रम का विस्तृत विवरण एवं मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम का विवरण संलग्न करें।
Please attach Full Details of programme and minute to minute programme :

10. मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथि का विवरण संलग्न करें। (Details of chief guest and other guest) :

11. संस्था के बारे में विस्तृत विवरण (प्रोफाईल व प्रेस क्लिपिंग्स संलग्न करें)
Full Details of Organisation/Institutions (Pl. attatch profile & Media Clipings) :

12. संस्था द्वारा विगत 03 वर्षों में आयोजित किये गये कार्यक्रमों का विवरण
Details of programs conducted by the organization in the last 03 years :
1.
2.
3.

13. कार्यक्रम में दर्शकों का प्रवेश माध्यम
Audience Entry by : ☐ टिकट द्वारा By Ticket ☐ निमंत्रण पत्र द्वारा By Invitation

Scanned with CamScanner

E-mail :- cg1.library.jkk@rajasthan.gov.in

दक्षिणी परिसर हेतु आरक्षण के नियम अथवा शर्तें

1. केन्द्र के सभी स्थलों हेतु 03 माह पूर्व आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की
कम से कम समयावधि, कार्यक्रम दिवस से 15 दिवस पूर्व की होगी।
केन्द्र के किसी भी स्थल का आरक्षण किये जाने के पश्चात् आरक्षण निरस्त किये जाने पर संबंधित
2. संस्था की जमा किराया राशि में से 15 दिन पूर्व तक आरक्षण रद्द करने पर 15 प्रतिशत, 15 दिन
से लेकर कार्यक्रम से 24 घंटे पूर्व तक 30 प्रतिशत तत्पश्चात् 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
केवल सुरक्षा राशि एवं विघुत शुल्क भी लौटायी जा सकेगी। केन्द्र द्वारा जी0एस0टी0 जमा करवाये
जाने के पश्चात् जी0एस0टी0 राशि नही लौटायी जायेगी।
निर्धारित स्थान पर ही बैनर्स/पोस्टर लगाने की अनुमति होगी। इस हेतु जवाहर कला केन्द्र
3. प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के बैनर्स/पोस्टर लगाने की अनुमति
नहीं होगी। बिना अनुमति स्वागत द्वार आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी। आवेदक अपने आयोजन
सम्बन्धी प्रचार–प्रसार हेतु केन्द्र परिसर में अधिकतम चार स्टेण्डी (4' X 6') लगा सकते है। केन्द्र
की दीवारों पर बैनर्स/फ्लेक्स लगाने की अनुमति नहीं होगी।
केन्द्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की
4. होगी एवं जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि आरक्षित स्थल की सम्पत्ति को कोई
नुकसान होता है या स्थान उचित सफाई के बिना छोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में केन्द्र द्वारा
आरक्षित स्थल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा राशि में से उपयुक्त राशि काट ली जायेगी।
अधिक नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि तत्समय नकद अथवा बैंकर्स चैक के माध्यम से
जमा करवानी होगी।
दक्षिणी परिसर में आयोजित मेला/प्रदर्शनी की समयावधि में वृद्धि हेतु आवेदित संस्था को
5. कम–से–कम 07 दिवस पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी और इसका निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक
(प्रशासन), जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
कार्यक्रम/मेले के दौरान नियमित रूप से आयोजक संस्था द्वरा साफ–सफाई करवानी होगी एवं
6. कचरा–पात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। समापन के पश्चात् परिसर की सम्पूर्ण सफाई स्वयं
के स्तर पर करवानी होगी। तदुपरान्त NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी की जायेगी। कचरे के
परिवहन की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की स्वयं
की होगी।
7. आयोजक संस्था को कार्यक्रम में आमंत्रित अतिविशिष्ठ अतिथिगणों की सूचना यथोचित समय पर
एक दिवस पूर्व केन्द्र को देनी होगी, ताकि प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा सके।
केन्द्र परिसर एवं आयोजन अवधि में प्लास्टिक निर्मित कैरी बैग/थैलियाँ/कप–ग्लास आदि का
8. उपयोग करना वर्जित है। यदि इनका उपयोग किया जाता है तो सरकारी नियमानुसार जुर्माना एवं
दण्ड लागू होगें। साथ ही आयोजन निरस्त कर अथवा सुरक्षा राशि जब्त कर आवेदक
विभाग/संस्था/व्यक्ति को हमेशा के लिए काली सूचीबद्ध (Black Listed) कर दिया जायेगा।
9. आरक्षण शुल्क जरिये RTGS/NEFT/बैंकर्स डिमाण्ड ड्राफ्ट जो जवाहर कला केन्द्र के नाम देय
हो अथवा नकद जमा करवाया जा सकता है।
10. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा वरियता कम को तोड़ने के
आशय से किसी प्रकार दबाव डालने का प्रयास किया जायेगा तो संस्था एवं व्यक्ति को आगामी पाँच
वर्ष के लिए काली सूचीबद्ध (Blacklisted) कर दिया जायेगा।
11. कार्यक्रम अवधि में आयोजक संस्था/विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि का मौजूद रहना आवश्यक है,
जो निर्णय लेने में सक्षम हो।
12. केन्द्र का कार्यकम होने की स्थिति अथवा अन्य कोई अतिविशेष आपात परिस्थिति होने पर आरक्षण
निरस्त/आरक्षण तिथि में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।
13. कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम स्थल पर होने वाली किसी भी प्रकार की घटना एवं सुरक्षा सम्बन्धी
जिम्मेदारी आयोजक संस्था की स्वयं की होग।
14. यदि आरक्षण हेतु अधिकृत E-mail पर Online माध्यम से प्राप्त एक से अधिक आवेदन एक ही
समय प्राप्त होते हैं (उदाहरण–जैसे ठीक 12.00AM) तो अधिकृत E-mail पर प्रथम दृष्टया
ई–मेल वाली संस्था को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
15. दक्षिणी परिसर के आरक्षण में मात्र दक्षिण दिशा की बाउन्ड्री वाल से एवं केन्द्र भवन की बाउन्ड्री से
10 फीट का स्थान छोड़ते हुए मध्य तक का स्थान ही उपयोग में लिया जा सकेगा। उक्त 10 फीट
स्थान में केबल्स आदि है। स्टॉल्स का ले आउट केन्द्र से अनुमोदित करवाना होगा।
16. केन्द्र से विघुत व्यवस्था हेतु सम्बंधित संस्था द्वारा बुकिंग से 7 दिवस पूर्व प्राथना पत्र प्रस्तुत करने
पर केन्द्र के नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त विघुत आपूर्ति बाबत् अग्रिम राशि जमा कराने के उपरान्त
विघुत कनेक्शन दिया जायेगा। विघुत आपूर्ति (अधिकतम 50 किलो वाट) केन्द्र स्तर पर उपलब्ध
करवाई जा सकेगी।
17. हस्तशिल्प मेलों/प्रदर्शनियों/बाजार का आयोजन करने वाले आवेदक/विभाग/संस्था केवल
हस्तशिल्प उत्पादों का ही प्रदर्शन या विक्रय करें। इनके अलावा अन्य कोई भी उत्पाद, जो
हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं आता, का प्रदर्शन या विक्रय करने पर आयोजन तत्काल निरस्त कर
सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु वर्तमान प्रभावी नियमानुसार 03 माह पूर्व (उदाहरण – माह सितम्बर में
मेला आयोजित किये जाने हेतु माह जून की तारीख 01 को रात्रि 12.00 बजे) आवेदन ही मान्य
समझा जाएगा। तथा नियमानुसार प्रथम दृष्टया ई–मेल वाली संस्था को ही प्राथमिकता प्रदान की
जायेगी।
19. शिल्प मेले/प्रदर्शनी के लिए केन्द्र के किसी भी स्थान को क्षतिग्रस्त किये जाने पर क्षतिग्रस्त स्थान
की मरम्मत पर होने वाले व्यय की राशि की वसूली आयोजक व्यक्ति/संस्था से की जायेगी साथ
ही संस्था को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
20. मेले के कलाकारो/हस्तशिल्पियों की संख्या के अनुपात में केन्द्र परिसर में विद्यमान टॉयलेट्स के
अलावा समुचित संख्या में चल–शौचालयों, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था आयोजक संस्था के स्तर
पर सुनिश्चित करनी होगी।
21. मेला अवधि में सुरक्षा, सफाई, विघुत, जल, शौचालय आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के
स्तर पर करनी होगी।
22. किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
23. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सभी स्थलों के आरक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अनुमोदन प्राप्त
करने की समयावधि 15 दिवस होगी।
आवंटन हेतु, पहले आओ पहले पाओं के आधार पर ही आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
24. स्थल रिक्त न होने की स्थिति में आवेदक को आवेदन प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में इस सूचना
के साथ सूचित कर दिया जायेगा। यथा–"खेद है कि आप द्वारा आवेदित अवधि हेतु आवेदित स्थल
रिक्त न होने के कारण आवंटन किया जाना संभव नहीं है।
25. आवेदक व्यक्ति/संस्था/विभाग द्वारा आवेदन पत्र को अन्य किसी संस्था के नाम पर स्थानान्तरित
(Sublet) किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

26. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु, अनुमोदन प्राप्त होने अथवा माँग पत्र जारी होने के पश्चात् आवेदक
को 07 दिवस की समयावधि में आरक्षण शुल्क का 25 प्रतिशत राशि तथा शेष राशि आयोजन से
01 माह पूर्व जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। शुल्क जमा नही कराने की स्थिति में आवेदन
निरस्त माना जायेगा तथा अन्य किसी आवेदक को स्थान आरक्षित कर दिया जायेगा।
दक्षिणी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने पर संस्था को मेला अवधि से एक दिवस पूर्व (पहले)
27. एवं मेला अवधि के एक दिवस पश्चात् (बाद) शिल्पग्राम परिसर एवं दक्षिणी परिसर का उपयोग
नियमानुसार निःशुल्क किया जा सकेगा। साथ ही आयोजन की तैयारी हेतु यदि अतिरिक्त दिवसों
के आरक्षण की माँग जाती है तो तैयारी के लिए दैनिक शुल्क का आधा शुल्क का भुगतान करना
होगा।
कार्यकम के समापन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित कार्यकम
28. अधिकारी/केयरटेकर से प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही
सुरक्षा राशि लौटायी जायेगी।
आवेदक व्यक्ति/विभाग/संस्था द्वारा जाति, लिंग, अश्लीलता, द्विअर्थी, भेद–भाव, धार्मिक भावनाओं
29. को ठेस पहुँचाने वाले एवं संवैधानिक मूल्यों/अधिकारों को आहत करने वाले कार्यक्रमों का
आयोजन/कृतियों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। ना ही इन विषयों के सम्बन्ध में भावनाओं को
ठेस पहुँचाने वाले भाषण दिये जायेगें। इस विषय में किसी भी विवाद हेतु आयोजक ही पूर्ण रूप
से उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित व्यक्ति/विभाग/संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में
लाकर भविष्य के लिये काली सूचीबद्ध (Black Listed) कर दिया जायेगा।
30. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र निरस्त करने का केन्द्र को पूर्ण अधिकार
होगा।
31. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी पंजीकृत संस्था द्वारा उस संस्था के किसी भी पंजीकृत
आवेदक द्वारा किया गया ई–मेल मान्य होगा।
हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू होने की तिथि से पूर्व केन्द्र को जी.एस.टी. नम्बर देना अनिवार्य होगा।
32. शैक्षिक संस्थान एवं सामाजिक सरोकार के लिए गठित संस्थाओं को हस्तशिल्प प्रदर्शनी के लिए
33. आवंटन नही किया जाएगा। हस्तशिल्प एवं दस्तकारों के उत्थान हेतु गठित संस्थाओं को आवंटन
हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
जिस फर्म/संस्था के द्वारा दक्षिण परिसर की बुकिंग के लिये आवेदन किया गया हो उसी संस्था
34. फर्म के बैंक खाते से 5000/– रू. की राशि NEFT/RTGS के द्वारा आवेदन किये गये महिने
की आखिरी तिथि तक जमा होने के पश्चात ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।
35. आवेदन शुल्क की राशि रू. 5000/– केन्द्र कोष में जमा होगी, जो कि वापिस लौटायी नही
जायेगी और न ही सामयोजित किये जाने योग्य होगी।
36. किसी भी आवेदक/संस्था को प्राप्त आवेदन पत्रों के स्कीनशॉट एवं वरियता कम की सूची दिखाई
नही जाएगी।
37. मेला तैयारी हेतु केन्द्र नियमानुसार 01 दिवस निःशुल्क साहित अधिकतम 02 दिवस तथा विशेष
परिस्थितियों में कुल 03 दिवस आरक्षित किये जा सकते है।
38. मेला समाप्ति हेतु केन्द्र के नियमानुसार 01 दिवस निःशुल्क साहित 02 दिवस में मेला समाप्त करना
अनिवार्य होगा।
39. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी भी व्यक्ति/आवेदक द्वारा केवल स्वयं के, पत्नि की, अपने
एक पुत्र/पुत्री या फिर भाई के पंजीकृत संस्थाओं के नाम से प्राप्त ई–मेल को ही मान्य समझा
जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को रक्त सम्बंध प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
40. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी भी व्यक्ति/आवेदक द्वारा किसी माह के आरक्षण हेतु 03 से
अधिक संस्थाओं/फर्म के नाम से आवेदन किया जाता है तो केन्द्र द्वारा उस व्यक्ति/आवेदक को
दक्षिण परिसर का आरक्षण नही किया जायेगा एवं फिर काली सूचीबद्ध (Blacklisted) करने
का पूर्ण अधिकार होगा।
41. दक्षिण परिसर एवं शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु Online माध्यम से प्राप्त होने वाले एक से
अधिक आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सबसे पहले ई–मेल करने वाले आवेदक
को आरक्षण किया जा सकेगा तथा पूर्व की भांति ही Online माध्यम हेतु
cg1.library.jkk@rajasthan.gov.in पर प्रेषित मेल प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया
जायेगा। केन्द्र के अन्य ई–मेल पर प्राप्त आवेदन पत्रों विचार नहीं किया जायेगा।
42. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा 03 से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये
जाने की पुष्टि होने अर्थात जानकारी मिलने की स्थिति में केन्द्र प्रशासन द्वारा स्वविवेक से निर्णय
लिये जाकर आवंटन किया जायेगा तथा ऐसी संस्था एवं व्यक्ति को 03 वर्ष के लिए काली सूचीबद्ध
(Blacklisted) किया जा सकेगा।
43. किसी भी एक आवेदक/संस्थान/फर्म को प्रथम आओं प्रथम पाओ नियमानुसार आने पर भी
लगातार दो बार आवटिंत नही किया जायेगा।
44. मेले का समय प्रातः 10.00 बजे से अधिकतम रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा साथ ही मेले की सुरक्षा
हेतु आवेदक/संस्थान/फर्म को पर्याप्त अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
45. एक संस्था को 01 कलेण्डर वर्ष में तीन बार ही दक्षिण परिसर आवंटन की अनुमति प्रदान की जा
सकेगी। यदि किसी भी आयोजक संस्था द्वारा केन्द्र की गरिमा के विपरित गतिविधियाँ संचालन
अथवा शांति भंग करने की गतिविधि संचालित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोजन को
निरस्त किये जाने का अधिकार केन्द्र के पास होगा।
46. यदि कोई एक आवेदक/संस्था कैलेण्ड वर्ष में तीन मेला आयोजित कर चुका है तथा वह उसी
कैलेण्डर वर्ष में पुनः मेला आयोजित करना चाहता है तो उसको प्राथमिकता नहीं दी जाकर उन
अन्य आवेदकों को अवसर प्रदान किया जायेगा, जिन्होने सम्बन्धित कैलेण्डर वर्ष में एक भी
आयोजन नहीं किया है परन्तु अन्य आवेदकों के अभाव में सम्बन्धित आवेदक को पुनः दक्षिणी
परिसर का आरक्षण किया जा सकता है।
47. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक आवेदक/संस्था को मेले/प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 24
दिवस एवं अधिकतम 30 दिवस मेला लगाने एवं हटाने के दिवस सहित की अवधि के लिए
नियमानुसार दक्षिणी परिसर उपलब्ध कराया जायेगा। 24 दिवसों में मेले/प्रदर्शनी की तैयारी वाले
दिवस सम्मिलित नही माने जायेगें।
48. यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
49. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र का निर्णय अन्तिम एवं
सर्वमान्य होगा।
50. किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा दिये/लिये गये निर्णय को किसी
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

संस्था/मैं उपरोक्त नियम व शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में संस्था/मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार केन्द्र को होगा तथा केन्द्र द्वारा संस्था/मेरे विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

कलाकार/संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय संस्था की सील

Scanned with CamScanner

E-mail :- cg1.library.jkk@rajasthan.gov.in

4. यदि कार्यक्रम प्रायोजित है तो प्रायोजकों के नाम एवं प्रायोजकों की सैद्धान्तिक सहमति
If the event is sponsored, the names of the sponsors :

आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक / Date :-

संस्था प्रधान/आवेदक के हस्ताक्षर
मय संस्था की सील
Signature with Seal of Organisation or
Institution Head / Applicant

वचन बद्धता (UNDERTAKING)

मैं .... की ओर से दिनांक .... से .... तक जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम .... के सम्बन्ध में आयोजक संस्था की ओर से निम्नानुसार वचन बद्धता (UNDERTAKING) प्रस्तुत करता हूँ :–

1. यह कि आरक्षित स्थल पर व्यवस्था व अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं आयोजनकर्ता की होगी।
2. यह कि कार्यक्रम/प्रदर्शन स्थल पर जाति, लिंग, अश्लीलता, द्विअर्थी, भेद–भाव, धार्मिक भावनाओं एवं संवैधानिक मूल्यों/अधिकारों को आहत करने वाली नहीं है तथा ठेस पहुँचाने वाले कार्यक्रम/कृतियों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। ना ही इस प्रकार के भाषण दिये जायेगें। इस विषय में किसी भी विवाद हेतु आयोजक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. यह कि केन्द्र के प्रदर्शन स्थल पर जवाहर कला केन्द्र परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा तोड़–फोड़ की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/संस्था की ही रहेगी।
4. यह कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी स्वयं मेरे/संस्था द्वारा निर्वहन किया जायेगा।
5. कला दीर्घाओं में कलाकृतियों के प्रदर्शन से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी (दृश्यकला) के द्वारा अवलोकन कर लिए जाने के उपरान्त ही कार्यक्रम अधिकारी की सहमति के अनुसार ही कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जायेगा।
6. प्रस्तावित कार्यक्रम के आवेदन पत्र के साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित कलाकारों का ही प्रदर्शन रखा जायेगा।
7. केन्द्र का कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण निरस्त/आरक्षण तिथि में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।
8. कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम से भिन्न होने, धार्मिक, जाति, लिंग, द्विअर्थी, भेदभाव, संवैधानिक मूल्यों के विपरीत, अश्लील, भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला प्रदर्शन पाये जाने पर प्रस्तुतीकरण/आयोजन को बीच में ही स्थगित करने/निरस्त करने की सहमति प्रदान करता हूँ।

आयोजककर्ता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर

....

....

....

....

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा.),
जवाहर कला केन्द्र,
जयपुर।

विषय :– सुरक्षा राशि लौटाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग/संस्था/आवेदक .... द्वारा केन्द्र में दिनांक .... से .... तक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। कार्यकम आयोजन हेतु आरक्षण राशि के साथ सुरक्षा राशि, कार्यक्रम आयोजन किये जाने की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त होने पर यथा समय जमा करवा दी जायेगी।

यदि कार्यकम आयोजन के दौरान आरक्षण शर्तों के विरूद्ध कार्य करने अथवा केन्द्र द्वारा आरक्षित किये गये स्थल या केन्द्र सम्पती को नूकसान पहुँचता है तो उपर्युक्त अंकित विभाग/संस्था/आवेदक की जमा सुरक्षा राशि जब्त किये जाने अथवा जमा सुरक्षा राशि में से कटौती किये जाने पर उपर्युक्त विभाग/संस्था/आवेदक अपनी सहमति प्रदान करता है।

यदि कार्यकम आयोजन के दौरान आरक्षण शर्तों की ठीक प्रकार से पालना की जाती है और केन्द्र स्थल या केन्द्र सम्पती को किसी प्रकार का नूकसान नहीं पहुँचता है तो उपर्युक्त विभाग/संस्था/आवेदक द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा राशि निम्नलिखित विवरणानुसार बैंक खाते में स्थानान्तरित करने का श्रम करावें :–

Account Holder's Name :- ....
Bank Name :- ....
Account No. :- ....
IFSC Code No. :- ....
Branch Name :- ....

प्रार्थी

दिनांक :–

(..)
विभाग/संस्था के प्रतिनिधि/आवेदक
का नाम मय हस्ताक्षर

मो. नं. ....

Scanned with CamScanner

दक्षिणी परिसर हेतु आरक्षण के नियम/शर्तें

क्र0सं0	नियम एवं शर्तें
1.	केन्द्र के सभी स्थलों हेतु 03 माह पूर्व आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कम से कम समयावधि, कार्यक्रम दिवस से 15 दिवस पूर्व की होगी।
2.	केन्द्र के किसी भी स्थल का आरक्षण किये जाने के पश्चात् आरक्षण निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था की जमा किराया राशि में से 15 दिन पूर्व तक आरक्षण रद्द करने पर 15 प्रतिशत, 15 दिन से लेकर कार्यक्रम से 24 घंटे पूर्व तक 30 प्रतिशत तत्पश्चात् 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी। केवल सुरक्षा राशि एवं विद्युत शुल्क भी लौटायी जा सकेगी। केन्द्र द्वारा जी0एस0टी0 जमा करवाये जाने के पश्चात् जी0एस0टी0 राशि नहीं लौटायी जायेगी।
3.	निर्धारित स्थान पर ही बैनर्स/पोस्टर लगाने की अनुमति होगी। इस हेतु जवाहर कला केन्द्र प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के बैनर्स/पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति स्वागत द्वार आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी। आवेदक अपने आयोजन सम्बन्धी प्रचार–प्रसार हेतु केन्द्र परिसर में अधिकतम चार स्टेण्डी (4' X 6') लगा सकते हैं। केन्द्र की दीवारों पर बैनर्स/फ्लैक्स लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4.	केन्द्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी एवं जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि आरक्षित स्थल की सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है या स्थान उचित सफाई के बिना छोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में केन्द्र द्वारा आरक्षित स्थल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा राशि में से उपयुक्त राशि काट ली जायेगी। अधिक नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि तत्समय नकद अथवा बैकर्स चैक के माध्यम से जमा करवानी होगी।
5.	शिल्पग्राम/दक्षिणी परिसर में आयोजित मेला/प्रदर्शनी की समयावधि में वृद्धि हेतु आवेदित संस्था को कम–से–कम 07 दिवस पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी और इसका निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन), जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
6.	कार्यक्रम/मेले के दौरान नियमित रूप से आयोजक संस्था द्वरा साफ–सफाई करवानी होगी एवं कचरा–पात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। समापन के पश्चात् परिसर की सम्पूर्ण सफाई स्वयं के स्तर पर करवानी होगी। तदुपरान्त NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी की जायेगी। कचरे के परिवहन की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की स्वयं की होगी।
7.	आयोजक संस्था को कार्यक्रम में आमंत्रित अतिविशिष्ठ अतिथिगणों की सूचना यथोचित समय पर एक दिवस पूर्व केन्द्र को देनी होगी, ताकि प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा सके।
8.	केन्द्र परिसर एवं आयोजन अवधि में प्लास्टिक निर्मित कैरी बैग/थैलियाँ/कप–ग्लास आदि का उपयोग करना वर्जित है। यदि इनका उपयोग किया जाता है तो सरकारी नियमानुसार जुर्माना एवं दण्ड लागू होगें। साथ ही आयोजन निरस्त कर अथवा सुरक्षा राशि जब्त कर आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति को हमेशा के लिए काली सूचीबद्ध (Black Listed) कर दिया जायेगा।
9.	आरक्षण शुल्क जरिये RTGS/NEFT/बैंकर्स डिमाण्ड ड्रांफ्ट जो जवाहर कला केन्द्र के नाम देय होगा एवं चैक किसी भी परिस्थिति में भुगतान हेतु स्वीकार नही किये जायेगें।
10.	केन्द्र के किसी भी परिसर में कील ठोकना, टेप चिपकाना, पठाखा, आग, रंगों की रंगोली सजाने की इजाजत नहीं होगी। सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा।

Ag

Scanned with CamScanner

क्र0सं0 **नियम एवं शर्तें**

11. कार्यक्रम अवधि में आयोजक संस्था/विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि का मौजूद रहना आवश्यक है, जो निर्णय लेने में सक्षम हो।

12. निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। निर्धारित समय के उपरान्त कार्यकम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. केन्द्र का कार्यकम होने की स्थिति अथवा अन्य कोई अतिविशेष आपात परिस्थिति होने पर आरक्षण निरस्त/आरक्षण तिथि में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।

14. कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम स्थल पर होने वाली किसी भी प्रकार की घटना एवं सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी आयोजक संस्था की स्वयं की होगी।

15. केन्द्र परिसर में धूम्रपान करना निषेध है।

16. दक्षिणी परिसर के आरक्षण में मात्र दक्षिण दिशा की बाउन्ड्री वाल से एवं केन्द्र भवन की बाउन्ड्री से 10 फीट का स्थान छोड़ते हुए मध्य तक का स्थान ही उपयोग में लिया जा सकेगा। उक्त 10 फीट स्थान में केबल्स आदि है। स्टॉल्स का ले आउट केन्द्र से अनुमोदित करवाना होगा।

17. केन्द्र से विद्युत व्यवस्था हेतु सम्बंधित संस्था द्वारा बुकिंग से 7 दिवस पूर्व प्राथना पत्र प्रस्तुत करने पर केन्द्र के नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त विद्युत आपूर्ति बाबत् अग्रिम राशि जमा कराने के उपरान्त विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। विद्युत आपूर्ति (अधिकतम 50 किलो वाट) केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

18. हस्तशिल्प मेलों/प्रदर्शनियों/बाजार का आयोजन करने वाले आवेदक/विभाग/संस्था केवल हस्तशिल्प उत्पादों का ही प्रदर्शन या विक्रय करें। इनके अलावा अन्य कोई भी उत्पाद, जो हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं आता, का प्रदर्शन या विक्रय करने पर आयोजन तत्काल निरस्त कर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. शिल्पग्राम में किसी प्रकार का डोम बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। स्टॉल्स का लेय आउट केन्द्र से अनुमोदित करवाना होगा।

20. शिल्पग्राम में केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले नक्शे में अंकित कच्चे स्थान पर ही पोल लगाकर स्टॉल्स बनाने की अनुमति दी जायेगी। पक्के स्थान पर गढ्ढा खोदकर पोल आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

21. परिसर में किसी भी तरह के निजी या संस्थागत विज्ञापन की अनुमति अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) से लेनी होगी।

22. आरक्षण करवाई गई तिथियों में ही स्टॉल्स निर्माण व मेला उपरान्त स्टॉल्स हटाने की अवधि सम्मिलित होगी। आरक्षित अवधि के अतिरिक्त दिवस में आवंटित स्थान का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

23. शिल्पग्राम एवं दक्षिणी परिसर मे स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा एवं परिसर टॉयलेट्स की साफ–सफाई सम्बन्धी व्यवस्था संस्था को अपने स्तर पर करनी होगी।

24. मेले के दौरान निर्धारित फूड जोन में ही खान–पान के स्टॉल्स लगायी जा सकेगी एवं खाद्य सामग्री की गुणवता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

क्र0सं0

नियम एवं शर्तें

25. शिल्प मेले/प्रदर्शनी के लिए केन्द्र के किसी भी स्थान को क्षतिग्रस्त किये जाने पर क्षतिग्रस्त स्थान की मरम्मत पर होने वाले व्यय की राशि की वसूली आयोजक व्यक्ति/संस्था से की जायेगी साथ ही संस्था को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

26. मेले के कलाकारो/हस्तशिल्पियों की संख्या के अनुपात में केन्द्र परिसर में विद्यमान टॉयलेट्स के अलावा समुचित संख्या में **चल–शौचालयों, अग्निशमन यंत्रों** की व्यवस्था आयोजक संस्था के स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।

27. मेला अवधि में सुरक्षा, सफाई, विद्युत, जल, शौचालय आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

28. शिल्पग्राम परिसर में उद्घोषणा हेतु PA System के तहत 10 वाट (आकार – 01 फुट) के अधिक से अधिक 10 स्पीकर ही लगाये जा सकते हैं। वाद्ययंत्रीय संगीत (Instrumental Music) ही चलाये जाने की अनुमति होगी। उक्त ध्वनि शिल्पग्राम परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए।

29. उद्घाटन एवं समापन व सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 500 वाट का ही साउण्ड सिस्टम उपयोग में लिये जाने की अनुमति होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु शिल्पग्राम का पूर्वी भाग उपयोग में लेने को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। गाँधी नगर आवासीय क्षेत्र अर्थात् शिल्पग्राम की डूँगरपुर हट के पीछे वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

30. किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

❖ **दक्षिणी परिसर के आरक्षण हेतु महत्वपूर्ण शर्तें**

1. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सभी स्थलों के आरक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने की समयावधि 15 दिवस होगी।
2. आवंटन हेतु, पहले आओ पहले पाओं के आधार पर ही आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। स्थल रिक्त न होने की स्थिति में आवेदक को आवेदन प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में इस सूचना के साथ सूचित कर दिया जायेगा। यथा–''खेद है कि आप द्वारा आवेदित अवधि हेतु आवेदित स्थल रिक्त न होने के कारण आवंटन किया जाना संभव नहीं है।''
3. आवेदक व्यक्ति/संस्था/विभाग द्वारा आवेदन पत्र को अन्य किसी संस्था के नाम पर स्थानान्तरित (Sublet) किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. केन्द्र के समस्त स्थलों के आरक्षण हेतु, अनुमोदन प्राप्त होने अथवा माँग पत्र जारी होने के पश्चात् आवेदक को 07 दिवस की समायावधि में आरक्षण शुल्क का 25 प्रतिशत राशि तथा शेष राशि आयोजन से 01 माह पूर्व जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जायेगा तथा अन्य किसी आवेदक को स्थान आरक्षित कर दिया जायेगा।
5. शिल्पग्राम परिसर एवं दक्षिणी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने पर संस्था को मेला अवधि से एक दिवस पूर्व (पहले) एवं मेला अवधि के एक दिवस पश्चात् (बाद) शिल्पग्राम परिसर एवं दक्षिणी परिसर का उपयोग नियमानुसार निःशुल्क किया जा सकेगा। साथ ही आयोजन की तैयारी हेतु यदि अतिरिक्त दिवसों के आरक्षण की माँग जाती है तो तैयारी के लिए दैनिक शुल्क का आधा शुल्क का भुगतान करना होगा।
6. कार्यक्रम के समापन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित कार्यकम अधिकारी/केयरटेकर से प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही सुरक्षा राशि लौटायी जायेगी।
7. आवेदक व्यक्ति/विभाग/संस्था द्वारा जाति, लिंग, अश्लीलता, द्विअर्थी, भेद–भाव, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले एवं संवैधानिक मूल्यों/अधिकारों को आहत करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन/कृतियों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। ना ही इन विषयों के सम्बन्ध में भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले भाषण दिये जायेगें। इस विषय में किसी भी विवाद हेतु आयोजक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित व्यक्ति/विभाग/संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लोकर भविष्य के लिये काली सूचीबद्ध (Black Listed) कर दिया जायेगा।
8. आवेदन के समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सभी कार्यक्रम कला एवं संस्कृति पर आधारित हो। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम का मिनट–टू–मिनट विवरण एवं कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु स्थान सम्बन्धी सहायता किसी भी संस्था/व्यक्ति को नियमानुसार देय नहीं होगी परन्तु महानिदेशक, जकके के स्तर पर स्थान आवंटन सम्बन्धी सहायता का उचित निर्णय लिया जाकर केवल 02 दिवस ही सहायतार्थ रूप से देय होगा तथा विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक, जकके के स्तर पर अधिकतम 10 दिवस के लिये सहभागिता का निर्णय लिया जाकर स्थल सहयोग प्रदान किया जा सकेगा।
10. जवाहर कला केन्द्र द्वारा भारत सरकार के अधीन संचालित सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमियों, एनएसडी एवं राजस्थान सरकार के अधीन कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व क्षेत्र में संचालित अकादमियों/संस्थाओं को सहभागिता प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय भी महानिदेशक, जकके के स्तर पर लिया जायेगा।
11. जवाहर कला केन्द्र के प्रतीक चिन्ह (Logo) का उपयोग केवल सर्वोच्च प्राथमिकता वाली संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकेगा, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
12. आयोजन स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की व्यवस्था भी संस्था के स्तर पर की जानी होगी।

Scanned with CamScanner

13. सरकारी संस्थाओं/विभागों को मेलों प्रदर्शनियों के लिए शिल्पग्राम परिसर का ही आवंटन किया जायेगा।

14. एक संस्था को 01 कलैण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार ही दक्षिण परिसर आवंटन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। परन्तु अन्य आवेदक के अभाव में सम्बंधित आवेदक को पुनः दक्षिण परिसर का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी भी आयोजक संस्था द्वारा केन्द्र की गरिमा के विपरीत गतिविधियाँ संचालन अथवा शांति भंग करने की गतिविधि संचालित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोजन को निरस्त किये जाने का अधिकार केन्द्र के पास होगा।

15. टिकट एवं निमंत्रण पत्र वाले, कार्यक्रमों में दक्षिण परिसर हेतु 20 स्थान/सीट केन्द्र के लिए आरक्षित रखना होगा, जिनके निःशुल्क निमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार केन्द्र को होगा। शिल्पग्राम के लिए यह संख्या 50 सीट होगी, जिनके प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाने होंगे।

16. दक्षिण परिसर एवं शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु Online माध्यम से प्राप्त होने वाले एक से अधिक आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सबसे पहले ई-मेल करने वाले आवेदक को आरक्षण किया जा सकेगा तथा पूर्व की भांति ही Online माध्यम हेतु cgl.library.jkk@rajasthan.gov.in पर प्रेषित मेल प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। केन्द्र के अन्य ई-मेल पर प्राप्त आवेदन पत्रों विचार नहीं किया जायेगा।

17. दक्षिण परिसर एवं शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा वरियता क्रम को तोड़ने के आशय से किसी प्रकार दबाव डालने का प्रयास किया जायेगा तो संस्था एवं व्यक्ति को आगामी पाँच वर्ष के लिए काली सूचीबद्ध (Blacklisted) कर दिया जायेगा।

18. यदि आरक्षण हेतु अधिकृत E-mail पर Online माध्यम से प्राप्त एक से अधिक आवेदन एक ही समय प्राप्त होते हैं (उदाहरण-जैसे ठीक 12.00AM) तो अधिकृत E-mail पर प्रथम दृष्टया ई-मेल वाली संस्था को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

19. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु वर्तमान प्रभावी नियमानुसार 03 माह पूर्व (उदाहरण – माह सितम्बर में मेला आयोजित किये जाने हेतु माह जून की तारीख 01 को रात्रि 12.00 बजे) आवेदन ही मान्य समझा जाएगा। तथा नियमानुसार प्रथम दृष्टया ई-मेल वाली संस्था को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

20. शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु सरकारी एवं सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु यदि कोई आवेदक पहले आवेदन करता है और परिसर हेतु निर्धारित राशि जमा करवा दी जाती है तो आवंटन, संस्था को दे दिया जायेगा। विभाग का मेला/प्रदर्शनी का आयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हो तो स्थान रिक्त होने पर ही उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

21. दक्षिण एवं शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु माँग पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समायावधि में 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क जमा करना होगा तथा शेष आरक्षण शुल्क कार्यक्रम आयोजन से 01 माह पूर्व जमा कराना होगा।

22. दक्षिण एवं शिल्पग्राम परिसर के आरक्षण हेतु माँग पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समायावधि में 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क जमा करना होगा, 07 दिवस की समायावधि में 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क जमा न कराने की स्थित में आवेदन निरस्त कर नियमानुसार अन्य आवेदक को आरक्षित कर दिया जायेगा।

23. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक आवेदक/संस्था को मेले/प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 24 दिवस एवं अधिकतम 30 दिवस मेला लगाने एवं हटाने के दिवस सहित की अवधि के लिए नियमानुसार दक्षिणी परिसर उपलब्ध कराया जायेगा। 24 दिवसों में मेले/प्रदर्शनी की तैयारी वाले दिवस सम्मिलित नहीं माने जायेगें।

24. दक्षिण परिसर में यदि कोई आवेदक अधिकतम 24 दिवस तक मेला/प्रदर्शनी आयोजित कर चुका है और उसके बाद वाली अवधि में दक्षिणी परिसर उपलब्ध हो तथा अन्य आवेदकों का अभाव हो तो, प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जा कर सम्बन्धित आवेदक की आरक्षण अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

25. यदि कोई एक आवेदक/संस्था कैलेण्ड वर्ष में तीन मेला आयोजित कर चुका है तथा वह उसी कैलेण्डर वर्ष में पुनः मेला आयोजित करना चाहता है तो उसको प्राथमिकता नहीं दी जाकर उन अन्य आवेदकों को अवसर प्रदान किया जायेगा, जिन्होने सम्बन्धित कैलेण्डर वर्ष में एक भी आयोजन नहीं किया है परन्तु अन्य आवेदकों के अभाव में सम्बन्धित आवेदक को पुनः दक्षिणी परिसर का आरक्षण किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

26. आवेदक – संस्था/बोर्ड/कम्पनी/लिमिटेड जो पंजीकृत हैं तथा जिन्होंने आवेदन करते समय पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

27. केन्द्रीय, राज्य स्तर एवं क्षेत्रीय आयुक्त, हस्तशिल्प अथवा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरूप कार्यानुभव धारित संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन विभागों से हस्तशिल्प एवं हाथकरघा से जुड़े होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. सभी आवंटित स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के सफल आयोजन के उपरान्त NOC प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त NOC के आधार पर ही सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। NOC अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जकके से प्राप्त करनी होगी।

29. आयोजन स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की व्यवस्था भी संस्था के स्तर पर की जानी होगी।

30. सरकारी संस्थाओं/विभागों को मेलों प्रदर्शनियों के लिए शिल्पग्राम परिसर का ही आवंटन किया जायेगा।

31. एक संस्था को 01 कलैण्डर वर्ष में तीन बार ही दक्षिण परिसर आवंटन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि किसी भी आयोजक संस्था द्वारा केन्द्र की गरिमा के विपरित गतिविधियाँ संचालन अथवा शांति भंग करने की गतिविधि संचालित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोजन को निरस्त किये जाने का अधिकार केन्द्र के पास होगा।

32. टिकट एवं निमंत्रण पत्र वाले, कार्यक्रमों में 50 स्थान/सीट केन्द्र के लिए आरक्षित रखना होगा, जिनके निःशुल्क निमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार केन्द्र को होगा। दक्षिण परिसर एवं शिल्पग्राम के लिए यह संख्या 50 सीट होगी, जिनके प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाने होगें।

33. शिल्पग्राम एवं दक्षिणी परिसर हेतु टिकट एवं निमंत्रण पत्र वाले कार्यक्रमों में 50 स्थान/सीट प्रति कार्यक्रम दिवस केन्द्र के लिए आरक्षित रखना होगा, जिनके निःशुल्क निमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार जवाहर कला केन्द्र को होगा।

34. मेला तैयारी हेतु केन्द्र नियमानुसार 01 दिवस निःशुल्क साहित अधिकतम 02 दिवस तथा विशेष परिस्थितियों में कुल 03 दिवस आरक्षित किये जा सकते है।

35. मेला समाप्ति हेतु केन्द्र के नियमानुसार 01 दिवस निःशुल्क साहित 02 दिवस में मेला समाप्त करना अनिवार्य होगा।

36. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी भी व्यक्ति/आवेदक द्वारा केवल स्वयं के, पत्नि की, अपने एक पुत्र/पुत्री या फिर भाई के पंजीकृत संस्थाओं के नाम से प्राप्त ई–मेल को ही मान्य समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को रक्त सम्बंध प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

37. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी भी व्यक्ति/आवेदक द्वारा किसी माह के आरक्षण हेतु 03 से अधिक संस्थाओं/फर्म के नाम से आवेदन किया जाता है तो केन्द्र द्वारा उस व्यक्ति/आवेदक को दक्षिण परिसर का आरक्षण नही किया जायेगा एवं फिर काली सूचीबद्ध (Blacklisted) करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Scanned with CamScanner

38. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा 03 से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होने अर्थात जानकारी मिलने की स्थिति में केन्द्र प्रशासन द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिये जाकर आवंटन किया जायेगा तथा ऐसी संस्था एवं व्यक्ति को 03 वर्ष के लिए काली सूचीबद्ध (Blacklisted) किया जा सकेगा।

39. किसी भी एक आवेदक/संस्थान/फर्म को प्रथम आओं प्रथम पाओ नियमानुसार आने पर भी लगातार दो बार आवटिंत नही किया जायेगा।

40. मेले का समय प्रातः 10.00 बजे से अधिकतम रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा साथ ही मेले की सुरक्षा हेतु आवेदक/संस्थान/फर्म को पर्याप्त अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

41. हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू होने की तिथि से पूर्व केन्द्र को जी.एस.टी. नम्बर देना अनिवार्य होगा।

42. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र निरस्त करने का केन्द्र को पूर्ण अधिकार होगा।

43. दक्षिण परिसर के आरक्षण हेतु किसी पंजीकृत संस्था द्वारा उस संस्था के किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा किया गया ई-मेल मान्य होगा।

44. शैक्षिक संस्थान एवं सामाजिक सरोकार के लिए गठित संस्थाओं को हस्तशिल्प प्रदर्शनी के लिए आवंटन नही किया जाएगा। हस्तशिल्प एवं दस्तकारों के उत्थान हेतु गठित संस्थाओं को आवंटन हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

45. जिस फर्म/संस्था के द्वारा दक्षिण परिसर की बुकिंग के लिये आवेदन किया गया हो उसी संस्था फर्म के बैंक खाते से 5000/- रू. की राशि NEFT/RTGS के द्वारा आवेदन किये गये महिने की आखिरी तिथि तक जमा होने के पश्चात ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

46. आवेदन शुल्क की राशि रू. 5000/- केन्द्र कोष में जमा होगी, जो कि वापिस लौटायी नही जायेगी और न ही सामयोजित किये जाने योग्य होगी।

47. किसी भी आवेदक/संस्था को प्राप्त आवेदन पत्रों के स्क्रीनशॉट एवं वरियता कम की सूची दिखाई नही जाएगी।

48. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

49. किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा दिये/लिये गये निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

50. यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

Scanned with CamScanner